



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2019/श्रावण 28, 1941

No. 466]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2019/SHRAVANA 28, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 576(अ).—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अधिकारी होने के नाते का.आ. संख्या 3017(अ) में तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित अधिकारी के पदनाम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है तथा उक्त अधिकारी, पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा “संपदा अधिकारी” को सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

क्र.सं.	वर्तमान अधिसूचना	प्रस्तावित अधिसूचना	टिप्पणी
1.	श्री. वी. आर. रेड्डी, अधीक्षक अभियंता	श्री. वी. आर. रेड्डी, उप मुख्य अभियंता	अन्य विवरण अर्थात् कार्यकाल, कार्यक्षेत्र की सीमाएं इत्यादि अपरिवर्तित रहेंगी।

2. उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. ए-12011/2/2018-पी.ई.-II]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2019

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby notifies the designation of the officer mentioned in the column (3) of the Table in S.O. No. 3017(E), being officer of the Deendayal Port Trust, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estate Officer' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the afore-said Table:

Sl. No.	Existing Notification	Proposed Notification	Remarks
1.	Sh. V.R. Reddy, Superintendent Engineer	Sh. V.R. Reddy, Dy. Chief Engineer	Other details viz. Tenure, Limits of Jurisdiction etc. remain unaltered

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/2/2018-PE-II]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.